



## प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक: 86269

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (खरगोन), मध्यप्रदेश

स्कूल: SWAMI DAYANAND  
SARASWATI VIDHYALAYA

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता

मान्यता दिनांक - 09/09/2020

सं - 2020-21

प्रति,

प्रबंधक (SWAMI DAYANAND SARASWATI VIDHYALAYA)

विषय : नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पर।

महोदय / महोदय,

आपके आवेदन पर दिनांक 13/03/2020 तथा इस संबंध में स्कूल से पत्राचारों पर व्यवहार / निरीक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - SWAMI DAYANAND SARASWATI VIDHYALAYA हाइस कोड - 23271324204 स्कूल क्रमांक - PS 86269 को कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2020 से 31/03/2023 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

• मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता संबंधित की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी  
• स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

• स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के घेरित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवंटन व्यय बंधे पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवंटन सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु वह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्रो-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

• पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को वृषक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।

• सोसाइटी/स्कूल कोई भी कंपिटेशन फीस क संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी उपनवीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।

• स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -

o (क) आप के सक्षम के आभाव में ;

o (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पत्राचार ऐसा प्रवेश पाहा गया है,

o (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।

• स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -

o किसी स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा

o किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;

o प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बॉर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;

o नियम 19 के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;

o अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा

o अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी

o शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के अधीन विनियमित कर्तव्यों का पालन करना होगा

o प्रायवेंट टैपिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेते/लेगी

• स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यपत्रों का अनुसरण करेगा

• अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

• स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनियमित स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

Signature Not Verified

Digitally signed by Kamlesh Kumar Dongre  
Date: 2020.09.09  
17:08:15 IST  
Reason: Digitally Signed  
Location: M.P.

District Education Officer  
District Khargone (M.P.)

Scanned by CamScanner